न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 05 / 2024

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी –
1. कैलाश कुमार पुत्र लेखराज जाति खत्री निवासी खत्रीयों का वास , चौहटन जिला बाडमेर (मैसर्स कैलाश कुमार लेखराज खत्री, मेन बाजारा चौहटन का विक्रेता व मालिक)
2. नवीन कुमार पुत्र लूणकरण निवासी मू. पो. कोनरा तहसील चौहटन जिला बाडमेर (मैसर्स रामदेव एन्टरप्राईजेज, मेन बाजार, चौहटन का मालिक)
3. मिनाक्षी पत्नी तेजलमल (मैसर्स विजय लक्ष्मी ट्रेडर्स एच–10 कृषि उपज मण्डी बाडमेर की मालिक)
4. श्री थूमर कल्पेश भाई फूलाभाई निवासी गोपीनाथजी रेजीडेंसी, अमरोली, सायन रोड़, सूरत (मैसर्स विश्वा फूड प्रोडेक्टस, प्लोट नंबर 20 से 23 प्रथम इण्डिस्ट्रियल एरिया, हथोड़ा, मांगरोल, सूरत, गुजरात का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मुकेश गोयल, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित।
3. श्री पिताम्बर दास, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 12.01.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी की फर्म **मैसर्स कैलाश कुमार लेखराज खत्री, मेन बाजारा चौहटन** पर निरीक्षण दिनांक **23.10.2023** को 500–500 मिलीलीटर के 15 जार मूल लकड़ी रैंक पर विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **घी (गौमेत्री ब्राण्ड) (गाय का घी)** को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **घी (गौमेत्री ब्राण्ड) (गाय का घी)** में से कुल 4 जार वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–2343** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी (गौमेत्री ब्राण्ड) (गाय का घी)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी (गौमेत्री ब्राण्ड) (गाय का घी)** का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने जरिये अधिवक्ता लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को माल के अवमानक एवं प्रतिबंधिक के निर्धारित मापदण्डों के स्तर के पाये जाने पर एफ.एस.एल. रिपोर्ट अनुसार उक्त माल को संबंधित माल निर्माता को दुरूस्ती हेतु सुपुर्द किया जाना आवश्यक था। फिर भी उपरोक्त माल को लंबे समय तक रोककर रखने एवं माल का निस्तारण का आवेदन प्रस्तुत नहीं करने से विधिनुसार विप्रार्थीगण के अधिकारों का हनन हुआ है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **16.11.2023** में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया। अप्रार्थी ने लिखित में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी को माल के अवमानक एवं प्रतिबंधिक के निर्धारित मापदण्डों के स्तर के पाये जाने पर एफ.एस.एल. रिपोर्ट अनुसार उक्त माल को संबंधित माल निर्माता को दुरूस्ती हेतु सुपुर्द किया जाना आवश्यक था। फिर भी उपरोक्त

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

माल को लंबे समय तक रोककर रखने एवं माल का निस्तारण का आवेदन प्रस्तुत नहीं करने से विधिनुसार विप्रार्थीगण के अधिकारों का हनन हुआ है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्रकरण खारिज फरमाया जावे। प्रस्तुत परिवाद **घी (गौमेत्री ब्राण्ड) (गाय का घी)** से संबंधित है, जिसकी प्रयोगशाला जांच में Test for foreign fat का मानक foreign fat should be absent के मुकाबले foreign fat present पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। अप्रार्थी ने उक्त खाद्य पदार्थ के अवमानक पाये जाने के तथ्य का अपने प्रतिरक्षण में किसी प्रकार का ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थी द्वारा उसके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवता व मानकता के प्रति अपने दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 01 पर **रूपये 25,000/–**, अप्रार्थी संख्या 02 पर **रूपये 50,000/–** व अप्रार्थी संख्या 03 पर **रूपये 50,000/–** एवं 04 पर **रूपये 1,00,000/–**का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 12.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चौहान)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर